



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 904]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/फाल्गुन 8, 1940

No. 904]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/PHALGUNA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

का.आ. 1038(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार उसके द्वारा संभवतया प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि जिस तिथि को इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, उस तिथि से साठ दिनों की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप अधिसूचना पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना में शामिल प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देने वाला इच्छुक व्यक्ति, ऐसी विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ उसे सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित में अग्रेषित कर सकता है अथवा menong@cag.gov.in और sharath.kr@gov.in ई-मेल पते पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के का.आ. 1533 (अ) द्वारा जारी की गई प्रभाव आकलन अधिसूचना (इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 के रूप में उल्लिखित) और भारत सरकार द्वारा तदुपरांत जारी किए गए संशोधन प्रावधान करते हैं कि खनिजों के खनन हेतु "पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता" से तात्पर्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अधिकतम तीस वर्षों की शर्त के अध्यक्षीन, यथा अनुमानित परियोजना काल की अवधि से है;

और जबकि गोवा फाउंडेशन बनाम मेसर्स सेसा स्टेरलाइट लिमिटेड, और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2015 की अपील सं. 32138 की विशेष अनुमति में दिनांक 7 फरवरी 2018 के निर्णय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया है, जो नए खनन पट्टे प्राप्त करने में सफल रहे हैं,

और जबकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 8 (क) का खंड (6) निम्नवत निर्धारित करता है:-

“उप धारा (2), उप-धारा (3) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां खनिज का उपयोग कैप्टिव प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख के पूर्व अनुदत्त पट्टे की कालावधि का, उसके अंतिम बार किए गए नवीकरण की कालावधि के अवसान की तारीख से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली कालावधि तक के लिए नवीकरण की कालावधि, यदि कोई हो, के पूरा होने तक के लिए या ऐसा पट्टा अनुदत्त किए जाने की तारीख से पचास वर्ष की कालावधि के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया गया है, विस्तार किया जाएगा और विस्तार किया गया समझा जाएगा”

और जबकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 8 (क) का खंड (4) निम्नवत निर्धारित करता है:-

“पट्टा कालावधि के अवसान पर पट्टे को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा”

और जबकि, उपरोक्त के आलोक में, ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदत्त खनन परियोजना से संबंधित ऐसे मामले होंगे, जिसमें खनन पट्टे के लिए प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवसान नहीं हुई हो, किंतु खनन पट्टा की अवधि अवसान पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 के उपाबंधों के अनुसार सफल बोली दाता को नया पट्टा पुनः आबंटित कर दिया हो।

और जबकि उपरोक्त पैरा में उल्लिखित खनन परियोजनाओं के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है;

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वयन के साथ-साथ, ईआईए अधिसूचना के उपाबंधों के तहत प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में विनिर्दिष्ट किए गए अनुमोदित खनन स्कीम, खनन योजना, उत्पादन क्षमता, खनन पट्टा क्षेत्र के अनुसार खनन कार्यकलाप को जारी रखना आवश्यक समझे, क्योंकि इन खनन परियोजनाओं का पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका था और मामले के अनुसार संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) पर विचार किया गया है और संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं को शीघ्र ही नये सिरे से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता है, ताकि पूर्व अनुमोदित पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार उनके खनन क्रियाकलाप अवरूद्ध न हों;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए, गोवा फाउंडेशन बनाम मेसर्स सेवा स्टेरलाइट तथा अन्य के मामले में 2015 की अपील (सिविल) सं. 32138 की विशिष्ट अनुमति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7 फरवरी, 2018 के पूर्वोक्त निर्णय को कार्यान्वित करने और ईआईए अधिसूचना,

2006 के प्रावधानों के अधीन एक त्वरित तंत्र के माध्यम से प्रदत्त नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति में विनिर्दिष्ट अनुमोदित खनन स्कीम, खनन योजना, उत्पादन क्षमता, खान पट्टा क्षेत्र में कोई परिवर्तन किये बिना, खनन क्रियाकलाप को जारी रखने का निदेश देती है। इन सभी मामलों में सरकार द्वारा, विधि के अनुसार चयनित सफल बोलीदाता, ईआइए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अधीन, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए, ईआइए अधिसूचना, 2006 के परिशिष्ट-1 में दिये गए प्रपत्र-1 के द्वारा आवेदन करेगा। ऐसे सभी आवेदनों पर सम्बद्ध विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति जैसा भी मामला हो, द्वारा विचार क्रिया जाएगा जो नवीन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार किये जाने की आवश्यकता और जन परामर्श सहित, आवश्यकता सम्यक तत्परता के साथ, अनुमोदित ईआइए/ईएमपी के आलोक में निर्णय लेगी और तदनुसार आवेदन का, पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वैधता अवधि के अध्यक्षीन जो आरम्भ में स्वीकृत की गई थी, मूल्यांकन करेगी। तथापि, सम्बद्ध विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जैसा भी मामला हो, ऐसी खनन परियोजनाओं के लिए, मामला विशिष्ट आधार पर, अतिरिक्त शर्तें भी निर्धारित कर सकती है।

[फा.सं. जेड-11013/47/2018-आइए-11 (एम)]

गीता मैनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2019

S. O. 1038 (E).—Whereas, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at menong@cag.gov.in and sharath.kr@gov.in

Draft Notification

Whereas, the Environment Impact Assessment Notification vide S.O. 1533 dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), and subsequent amendments issued by the Government of India provides the “Validity of Environmental Clearance” for mining of minerals is meant for period of project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years;

And whereas, the Hon’ble Supreme Court vide judgment dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., &Ors., *inter alia*, has directed to obtain fresh environmental clearance to those who are successful in obtaining fresh mining leases;

And whereas, the clause (6) of section 8A of the Mines and Mineral (Development & Regulation) Act, 2015 prescribes as:-

“Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with”.

And whereas, the clause (4) of section 8A of the Mines and Mineral (Development & Regulation) Act, 2015 prescribes as:-

“On the expiry of the lease period, the lease shall be put up for auction as per the procedure specified in this Act”

And whereas, in the view of the above, there would be cases related to mining projects granted environmental clearance under EIA Notification, 2006, wherein validity of the environmental clearance granted for the mining lease may not have expired, but the mining lease will have ended and freshly re-allocated to the successful bidder as per the provisions of Mines and Mineral (Development & Regulation) Act, 2015.

And whereas, the mining projects mentioned in paragraph above are required to obtain fresh environmental clearance under the EIA Notification, 2006, in pursuance of the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for implementation of the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court as well as continuation of the mining activity as per the approved mining scheme, mining plan, production capacity, mine lease area specified in the environmental clearance granted under the provisions of the EIA Notification, 2006, as these mining projects were already appraised and the Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Management Plan (EMP) have been considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, and granted environmental clearance by the regulatory authority concerned. These projects need to be granted fresh environmental clearance expeditiously so that their mining activity does not get disrupted as per the earlier approved environmental clearance;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs, for implementation of the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., &Ors, as well as, continuation of the mining activity without any changes to the approved mining scheme, mining plan, production capacity, mine lease area specified in the environmental clearance granted under the provisions of the EIA Notification, 2006 through an expeditious mechanism for grant of fresh environmental clearance. The successful bidder selected by the Government in accordance with law, in all such cases, shall make an application in Form-1 as given in Appendix-I of the EIA Notification, 2006, for grant of environmental clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006. All such applications shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, who shall decide in the light of approved EIA/EMP on the due diligence necessary including the need for preparation of fresh Environmental Impact Assessment Report and public consultation and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance subject to the same validity period as was initially granted. However, the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, may stipulate case specific additional conditions to such mining projects.

[F No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.